अनुदान संख्या 57 – विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग
GRANT No. 57 - DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	82516,30,00	87392,86,00	78009,80,55	-9383,05,45
पूरक	Supplementary	4876,56,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2039,54,20

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, कुल बचतें (₹938305.45 लाख) जुलाई 2018, दिसम्बर 2018 तथा फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹487656.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गई और कुल स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआः–

Notes and comments

1. In the grant, the overall savings (₹938305.45 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹487656.00 lakhs obtained in July, 2018, December, 2018 and February, 2019 and constituted 11 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"				
सामान्य शिक्षा	General Education				
मू.	O.	1697004.00			
पू.	S.	331170.00	2140452.53	1406112.53	-734340.00
पु.	R.	112278.53			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving- (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"					
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas					
मू.	O.	458018.00				
पू.	S.	3.00		3.00	..	-3.00
पु.	R.	-458018.00				
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"					
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	6055475.00				
पू.	S.	156482.00		6367354.58	6367352.41	-2.17
पु.	R.	155397.58				
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"					
विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature					
मू.	O.	38933.00				
पू.	S.	1.00		25111.55	25110.51	-1.04
पु.	R.	-13822.45				

(I) ₹1194885.10 लाख का प्रावधान (₹319797.10 लाख के पूरक अनुदान सहित) पैंतालीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹1193779.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹1194885.10 lakhs (including supplementary grant of ₹319797.10 lakhs) remained wholly unutilised under forty five heads; of these ₹1193779.00 lakhs accounted for under the following major heads:

(का) मुख्य शीर्ष "2202" –

(A) Major Head "2202"-

(क) "माध्यमिक शिक्षा – आरक्षित निधि / जमा लेखा को अंतरण" –

(a) "Secondary Education - Transfer to Reserve Fund/Deposit Account"-

(i) "केन्द्रीय सड़क एवं अवंसरचना निधि को निधि अंतरण" – ₹292585.00 लाख का पूरक प्रावधान – केन्द्रीय सड़क एवं अवंसरचना निधि की लेखाकंन प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ii) "माध्यमिक और उच्चत्तर शिक्षा कोष" – ₹441314.00 लाख (₹27209.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) माध्यमिक और उच्चत्तर शिक्षा कोष के लेखाकंन की प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) "प्रौढ़ शिक्षा" –

(i) "अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम – प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास स्कीम के लिए वीए/एसआरसी/संस्थानों को समर्थन" – ₹1839.00 लाख; और

(ii) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास स्कीम के लिए वीए/एसआरसी/संस्थानों को समर्थन" – ₹560.00 लाख।

दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय को विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से स्कीम के कौशल विकास संघटक को अंतरण किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "माध्यमिक शिक्षा – गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय को सहायता" –

(i) "Funds for transfer to Central Road and Infrastructure fund" - supplementary provision of ₹292585.00 lakhs - due to non-finalisation of accounting procedure of Central Road and Infrastructure Fund (CRIF).

(ii) "Madhyamik and Uchhatar Shiksha Kosh (MUSK)"- ₹441314.00 lakhs (including supplementary grant of ₹27209.00 lakhs) - due to non-finalisation of accounting procedure of Madhyamik and Uchhatar Shiksha Kosh (MUSK).

(b) "Adult Education" -

(i) "Other Adult Education Programmes- Support to VAs/SRCs/Institutions for Adult Education and Skill Development Scheme"- ₹1839.00 lakhs; and

(ii) "Special Component Plan for Scheduled Castes- Support to VAs/SRCs/Institutions for Adult Education and Skill Development Scheme"- ₹560.00 lakhs.

Provision under the above two heads remained unutilized due to transfer of skill development component of the scheme from Department of School Education & Literacy to Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

(B) Major Head - "2552"-

(a) "Secondary Education- Assistance to Non-Government Secondary Schools"-

(i) "स्वायत्त निकायों को अनुदान" – ₹27558.25 लाख (₹0.25 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ii) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान" – ₹30962.20 लाख (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ख) "माध्यमिक शिक्षा – छात्रवृत्तियां – छात्रवृत्तियां" – ₹1851.00 लाख;

(ग) "प्रारंभिक शिक्षा – शिक्षक प्रशिक्षण" –

(i) "छात्रवृत्तियां" – ₹2054.00 लाख;

(ii) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – शिक्षक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा" – ₹3847.10 लाख (₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(घ) "प्रारंभिक शिक्षा – अन्य व्यय" –

(i) "विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम" – ₹74685.00 लाख;

(ii) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – सर्व शिक्षा अभियान" – ₹153006.15 लाख (₹1.15 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(iii) "अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम" – ₹1200.00 लाख;

(ङ) "प्रौढ़ शिक्षा – अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम – राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – शिक्षा प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा" –

(i) "Grants to Autonomous Bodies" - ₹27558.25 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.25 lakh);

(ii) "National Education Mission - Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)"- ₹30962.20 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.20 lakh);

(b) "Secondary Education-Scholarships-Scholarships" - ₹1851.00 lakhs;

(c) "Elementary Education - Teachers Training"-

(i) "Scholarships"- ₹2054.00 lakhs;

(ii) "National Education Mission-Teachers Training and Adult Education"- ₹3847.10 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.10 lakh);

(d) "Elementary Education - Other Expenditure"-

(i) "National Programme of Mid Day Meals in Schools"- ₹74685.00 lakhs;

(ii) "National Education Mission- Sarva Shiksha Abhiyan" - ₹153006.15 lakhs; (including token supplementary grant of ₹1.15 lakhs);

(iii) "Umbrella Programme for Development of Minorities" - ₹1200.00 lakhs;

(e) "Adult Education - Other Adult Education Programme - National Education Mission-

₹2300.00 लाख;

(च) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(i) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – शिक्षक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा" – ₹1704.05 लाख (₹0.05 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ii) "प्रारंभिक शिक्षा – अन्य व्यय" – ₹17700.00 लाख;

(iii) "स्वायत्त निकायों को अनुदान" – ₹3912.35 (₹0.35 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(iv) "छात्रवृत्तियां" – ₹956.00 लाख;

(v) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – सर्व शिक्षा अभियान" – ₹21792.05 लाख (₹0.05 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(vi) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान" – ₹6427.00 लाख;

(छ) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" –

(i) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – शिक्षक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा" – ₹886.10 लाख (₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ii) "प्रारंभिक शिक्षा – अन्य व्यय" – ₹12615.00 लाख;

Teachers Training and Adult Education"- ₹2300.00 lakhs;

(f) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(i) "National Education Mission- Teachers Training and Adult Education"- ₹1704.05 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.05 lakh);

(ii) "Elementary Education- Other Expenditure"- ₹17700.00 lakhs;

(iii) "Grants to Autonomous Bodies"- ₹3912.35 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.35 lakh);

(iv) "Scholarships"- ₹956.00 lakhs;

(v) "National Education Mission - Sarva Shiksha Abhiyan"- ₹21792.05 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.05 lakh);

(vi) "National Education Mission - Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)"- ₹6427.00 lakhs;

(g) "Tribal Area Sub-Plan"-

(i) "National Education Mission- Teachers Training and Adult Education"- ₹886.10 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.10 lakh);

(ii) "Elementary Education- Other Expenditure"- ₹12615.00 lakhs;

(iii) "स्वायत्त निकायों को अनुदान" – ₹2085.40 लाख (₹0.40 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(iv) "छात्रवृत्तियां" – ₹695.00 लाख;

(v) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – सर्व शिक्षा अभियान" – ₹86503.20 लाख (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और

(vi) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान" – ₹4741.15 लाख (₹0.15 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(iii) "Grants to Autonomous Bodies"- ₹2085.40 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.40 lakh);

(iv) "Scholarships"- ₹695.00 lakhs;

(v) "National Education Mission- Sarva Shiksha Abhiyan"- ₹86503.20 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.20 lakh); and

(vi) "National Education Mission- Rashtriya Madhyami Shiksha Abhiyan (RMSA)"- ₹4741.15 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.15 lakh).

उपर्युक्त इक्कीस शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above twenty one heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2202" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(II) Under Major Head "2202"- savings occurred under the following heads:

(का) "प्रारंभिक शिक्षा" –

(क) "सर्व शिक्षा अभियान – राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – सर्व शिक्षा अभियान" – ₹3958.12 लाख की बचत (₹20730.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थानों, अन्य संगठनों और बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने, प्रचार एवं प्रसार से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने एवं किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) "विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम – राष्ट्रीय संघटक" – ₹1326.80 लाख की बचत (₹1900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

(A) "Elementary Education"

(a) "Sarva Shiksha Abhiyan - National Education Mission- Sarva Shiksha Abhiyan" - saving of ₹3958.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20730.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from institutions, other organizations and Union Territories without legislature, requirement of less funds towards advertising and publicity and economy measures.

(b) "National Programme of Mid Day Meals in Schools - National Component"- saving of ₹1326.80 lakhs (against the sanctioned

प्रचार एवं प्रसार से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने, कम पेशेवरों को रखे जाने एवं किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

provision of ₹1900.00 lakhs) was due to receipt of less proposals towards advertising and publicity, hiring of less professionals and economy measures.

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" –

(c) "Tribal Area Sub-Plan"-

(i) "छात्रवृत्तियां" – ₹1481.78 लाख की बचत (₹2864.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से छात्रवृत्तियों से संबंधित कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(i) "Scholarships"- saving of ₹1481.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2864.00 lakhs) was due to receipt of less proposals towards scholarships from the State Governments.

(ii) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – सर्व शिक्षा अभियान" – ₹1985.22 लाख की बचत (₹4249.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(ii) "National Education Mission- Sarva Shiksha Abhiyan"- saving of ₹1985.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4249.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals from Union Territories without legislature.

(खा) "माध्यमिक शिक्षा – छात्रवृत्तियां – छात्रवृत्तियां" – ₹6318.85 लाख की बचत (₹6865.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधन के अंतर्गत होने वाली स्कीमों के दिशा निर्देश के कारण हुई।

(B) "Secondary Education - Scholarships - Scholarships"- saving of ₹6318.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6865.00 lakhs) was due to guidelines of the schemes being under revision.

(गा) "प्रौढ़ शिक्षा – अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम – राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – शिक्षक प्रशिक्षण एवं प्रौढ़ शिक्षा" – ₹561.98 लाख की बचत (₹909.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीमों के अनुमोदन न होने, कम पेशेवरों को रखे जाने, और संघ राज्य क्षेत्रों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(C) "Adult Education - Other Adult Education Programmes - National Education Mission-Teachers Training and Adult Education"- saving of ₹561.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹909.00 lakhs) was due to non-approval of scheme, engagement of less professionals and receipt of less number of proposals from Union Territories.

III. मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(III) Under Major Head "3601"- "Centrally Sponsored Schemes"- savings occurred under the following heads:-

(का) "केन्द्रीय सहायता / शेयर" –

(A) "Central Assistance/ Share"-

(क) "अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अम्ब्रेला

(a) "Umbrella Programme for Development of

कार्यक्रम" – ₹8962.99 लाख की बचत (₹10788.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त पोषण पैटर्न में परिवर्तन सहित स्कीम में संशोधन होने एवं प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – शिक्षक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा" – ₹23170.23 लाख की बचत (₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹50724.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ग) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान" – ₹20868.13 लाख की बचत (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹255075.05 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(खा) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना" –

(क) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – शिक्षक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा" – ₹7805.64 लाख की बचत (₹0.05 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹15211.05 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान" – ₹17036.83 लाख की बचत (₹0.05 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹76687.05 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

बचतें उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकारों से आवर्ती अनुदानों के अंतर्गत कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने एवं निर्माण कार्यों में धीमी गति होने के कारण हुईं।

Minorities"- saving of ₹8962.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10788.00 lakhs) was due to revision of the scheme with changes in funding pattern and non-materialization of proposals.

(b) "National Education Mission- Teachers Training and Adult Education"- saving of ₹23170.23 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹50724.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh);

(c) "National Education Mission - Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)"- saving of ₹20868.13 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹255075.05 lakhs including token supplementary grant of ₹0.05 lakh);

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(a) "National Education Mission - Teachers Training and Adult Education"- saving of ₹7805.64 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹15211.05 lakhs including token supplementary grant of ₹0.05 lakh); and

(b) "National Education Mission- Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)"- saving of ₹17036.83 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹76687.05 lakhs including token supplementary grant of ₹0.05 lakh).

Savings under the above four heads were due to receipt of less number of proposals under recurring grants from the State Governments and slow pace of construction activities.

(ग) “विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम” – ₹6937.21 लाख की बचत (₹185219.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ राज्य सरकारों से कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति होने और पूंजीगत कार्यों की धीमी गति होने के कारण हुई।

(c) “National Programme of Mid Day Meals in Schools”- saving of ₹6937.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹185219.00 lakhs) was due to receipt of less number of viable proposals from some State Governments and slow pace of Capital works.

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – शिक्षक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा” – ₹2922.64 लाख की बचत (₹8412.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से आवर्ती अनुदानों के अंतर्गत कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने एवं निर्माण कार्यों में धीमी गति होने के कारण हुई।

(C) “Tribal Area Sub-Plan - National Education Mission- Teachers Training and Adult Education”- saving of ₹2922.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8412.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals under recurring grants from the State Governments and slow pace of construction activities.

(IV) मुख्य शीर्ष “3602” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं।

(IV) Under Major Head “3602”- “Centrally Sponsored Schemes” - savings occurred under the following heads:

(का) “केन्द्रीय सहायता / शेयर” –

(A) “Central Assistance/ Share”-

(क) “राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – शिक्षक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा” – ₹1010.62 लाख की बचत (₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2023.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लंबित उपयोगी प्रमाणपत्रों और बकाया राशियों की वजह से संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(a) “National Education Mission - Teachers Training and Adult Education”- saving of ₹1010.62 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2023.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh) was due to non-materialization of proposal of Union Territory of Delhi owing to pending utilization certificates and outstanding advances.

(ख) “राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – सर्व शिक्षा अभियान” – ₹9981.46 लाख की बचत (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹19510.20 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(b) “National Education Mission - Sarva Shiksha Abhiyan”- saving of ₹9981.46 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹19510.20 lakhs including token supplementary grant of ₹0.20 lakh); and

(खा) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना” –

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes”-

(क) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – सर्व शिक्षा अभियान" – ₹1277.36 लाख की बचत (₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2412.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली से प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(ख) "विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम" – ₹1093.08 लाख की बचत (₹2200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र पुदूचेरी से कम प्रस्ताव की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(V) छह शीर्षों के अंतर्गत ₹2280.13 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक लेकिन ₹500.00 लाख से अधिक और कुल स्वीकृत प्रावधान का 21 से 78 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹350897.36 लाख) प्रयुक्त हो गई जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹3198.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) मुख्य शीर्ष "2202" – "माध्यमिक शिक्षा" –

(क) "गैर–सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता – स्वायत्त निकायों को अनुदान" – ₹104557.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹104556.50 लाख था।

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – स्वायत्त निकायों को अनुदान" – ₹12882.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹12881.75 लाख था।

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उपयोजना – स्वायत्त निकायों को अनुदान" – ₹5916.00 लाख। वास्तविक अधिक

(a) "National Education Mission- Sarva Shiksha Abhiyan"- saving of ₹1277.36 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2412.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of proposal from Union Territory of Delhi.

(b) "National Pragramme of Mid Day Meals in Schools"- saving of ₹1093.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2200.00 lakhs) was due to non-receipt of proposal from Union Territory of Puducherry.

(V) Under six heads savings of ₹2280.13 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 21 to 78 percent of the total sanctioned provision.

2.(I) The above saving were partly (₹350897.36 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹3198.00 lakhs under the following major heads:

(A) Major Head "2202"- "Secondary Education"-

(a) "Assistance to Non-Government Secondary Schools - Grants to Autonomous Bodies"- ₹104557.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹104556.50 lakhs.

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Grants to Autonomous Bodies"- ₹12882.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹12881.75 lakhs.

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Grants to Autonomous Bodies"- ₹5916.00 lakhs.

व्यय, तथापि, ₹5915.75 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" –

(क) "केन्द्रीय सहायता/शेयर – राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – सर्व शिक्षा अभियान" – ₹111805.52 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹111804.20 लाख था।

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – सर्व शिक्षा अभियान" – ₹12978.39 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹12978.18 लाख था।

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – सर्व शिक्षा अभियान" – ₹102758.45 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹102758.25 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईः–

(का) मुख्य शीर्ष "2202" –

(क) "प्रारंभिक शिक्षा – शिक्षण प्रशिक्षण – छात्रवृत्ति" – ₹6406.68 लाख का अधिक व्यय (₹18718.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छात्रवृत्ति/छात्रवृत्ति संबंधित अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाएं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ख) "माध्यमिक शिक्षा – अनुसंधान एवं प्रशिक्षण – स्वायत्त निकायों को अनुदान" – ₹3125.05 लाख का अधिक व्यय (₹25229.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पेंशन एवं पेंशन पाने वाले लाभ से संबंधित अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से

Actual excess, however, was ₹5915.75 lakhs.

(B) Major Head "3601"- "Centrally Sponsored Schemes"-

(a) "Central Assistance/Share - National Education Mission - Sarva Shiksha Abhiyan"- ₹111805.52 lakhs. Actual excess, however, was ₹111804.20 lakhs.

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - National Education Mission-Sarva Shiksha Abhiyan"- ₹12978.39 lakhs. Actual excess, however, was ₹12978.18 lakhs.

(c) "Tribal Area Sub-Plan - National Education Mission - Sarva Shiksha Abhiyan"- ₹102758.45 lakhs. Actual excess, however, was ₹102758.25 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2202" -

(a) "Elementary Education - Teachers Training - Scholarships" - excess of ₹6406.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18718.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards scholarships/stipends and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(b) "Secondary Education -Research and Training - Grants to Autonomous Bodies"- excess of ₹3125.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25229.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards pension and pensionary benefits

संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" –

(B) Under Major Head "3601"- "Centrally Sponsored Schemes"-

(क) "केन्द्रीय सहायता/शेयर" – "विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम" – ₹10436.23 लाख का अधिक व्यय (₹645466.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(a) "Central Assistance/Share - National Programme of Mid Day Meals in Schools"- excess of ₹10436.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹645466.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on Projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ख) जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम" – ₹5401.98 लाख का अधिक व्यय (₹98315.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से अतिरिक्त मांग होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(b) "Tribal Area Sub-Plan - National Programme of Mid Day Meals in Schools"- excess of ₹5401.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹98315.00 lakhs) was due to additional demand from the State Governments and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on Projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. प्रारंभिक शिक्षा कोष

3. Prarambhik Shiksha Kosh

प्रारंभिक शिक्षा को व्यापक बनाने संबंधी कार्यक्रम के संबंध में धनराशि की व्यवस्था करने के लिए उपलब्ध योजना संसाधनों और अनुमानित आवश्यकता के बीच का अंतर समाप्त करने के लिए, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 के अंतर्गत निगम कर, निगम कर से भिन्न आय पर कर, अनुषंगी हितलाभ कर, उत्पांद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर पर 2% की दर पर शिक्षा उपकर लगाया गया।

In order to bridge the gap between available plan resources and estimated requirement to finance the programme for universalisation of elementary education, the Finance (no.2) Act, 2004 levied an Education Cess @2% on Corporation Tax, Taxes on Income other than Corporation Tax, Fringe Benefit Tax, Excise Duty, Custom Duty and Service Tax.

नवम्बर, 2005 में, भारत के लोक लेखे में तात्कालिक प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा कोष नामक एक व्यपगत न होने वाली निधि का गठन किया गया।

A non-lapsable fund called Prarambhik Shiksha Kosh was created in the Public Accounts of India under the erstwhile Department of Elementary Education and Literacy in November, 2005.

शिक्षा उपकर से होने वाली समस्त आय "सर्व शिक्षा अभियान" और "मध्याह्न भोजन संबंधी स्कीम" पर व्यय किए जाने के लिए इस प्रारंभिक शिक्षा कोष में जमा की जाएगी। किसी भी वित्तीय वर्ष में इन स्कीमों पर किए जाने वाले व्यय को शुरू में सकल बजटीय सहायता से व्यय किया जाएगा। इन स्कीमों पर योजना आबंटन संघटक और व्यय का वित्तपोषण सकल बजटीय सहायता के समाप्त होने के बाद ही प्रारंभिक शिक्षा कोष से उपलब्ध कराया जाएगा।

All proceeds of Education Cess is to be credited in to this Prarambhik Shiksha Kosh for being spent on the schemes "Sarva Shiksha Abhiyan" and "Mid-Day Meal Scheme". Expenditure incurred on these schemes, in the any financial year, shall initially be incurred from Gross Budgetary Support (GBS). Component of Plan allocation and the expenditure on these schemes will be financed from Prarambhik Shiksha Kosh only after GBS is exhausted.

2% शिक्षा उपकर की अनुमानित प्राप्ति की तुलना में प्रारंभिक शिक्षा कोष को प्रारंभिक अंतरण के लिए संघ बजट 2018–19 में ₹23663.10 करोड़ का प्रावधान किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन संबंधी स्कीमों पर किए गए व्यय के संबंध में प्रारंभिक शिक्षा कोष से प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि के लिए बजट अनुमान 2018–19 में समान राशि उपलब्ध कराई गई थी।

A provision of ₹23663.10 crores was made in the Union Budget 2018-19 for initial transfer to Prarambhik Shiksha Kosh against estimated receipt of 2% Education Cess. Identical amount was provided in B.E. 2018-19 for amount to be recouped from Prarambhik Shikasha Kosh in respect of expenditure incurred on the schemes relating to Sarva Shiksha Abhiyan and Mid Day Meal.

वर्ष 2018–19 से संबंधित निधि का लेखा निम्न प्रकार है:–

The Account of the Fund for the year 2018-19 was as follows:

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	1857,48,63
प्राप्तियां	Receipt	25227,90,00
अदायगियां	Payments	24842,49,00
अंतशेष	Closing Balance	2242,89,63